राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा

क्रमांकः न्याय/कोरोना/2020/24489 दिनांक 20 सितम्बर, 2020

:: आदेश अन्तर्गत धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता ::

यतः अधोहस्ताक्षरकर्ता के ध्यान मे लाया गया है कि जिला मुख्यालय भीलवाड़ा की नगरीय सीमा क्षैत्र मे **COVID-19** कोरोना वॉयरस के सक्रमंण की गंभीर स्थिति से मानव जीवन एवं स्वास्थ्य को लगातार खतरा बना हुआ है एवं इस खतरे से निवारण एवं बचाव के लिए शीघ्र उपचार करना वांछनीय है।

अतः मानव जीवन की रक्षा/सुरक्षा के मध्यनजर **मैं शिवप्रसाद एम. नकाते, जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा धारा 144, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973** में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला मुख्यालय की नगरीय सीमा **क्षेत्र में दिनांक 31.10.2020 सांय 06:00 बजे तक पांच से अधिक व्यक्तियो के समूह मे इकठ्ठा होने पर** निषेधाज्ञा लागू करता हूँ एवं आदेश देता हूँ कि :-

1. जिला मुख्यालय की नगरीय सीमा क्षैत्र के किसी भी सार्वजनिक स्थल पर पांच से अधिक व्यक्ति इकठ्ठे नही होगें। सार्वजनिक स्थल पर प्रत्येक व्यक्ति मास्क पहनने एवं सामाजिक दुरी बनाये रखने के आज्ञापक आदेश की पालना करेगा।

2. वैवाहिक समारोह में अधिकतम 50 एवं अंतिम संस्कार मे अधिकतम 20 व्यक्ति ही कोविड-19 प्रोटोकोल की अनुपालना सुनिश्चित करते हुए उपस्थित हो सकेंगें। इसके अतिरिक्त समस्त सामूहिक गतिविधियो यथा रैली, जुलूस, सभा एवं सार्वजनिक समारोह इत्यादि पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगें।

3 उक्त प्रतिबंध से निर्वाचन प्रक्रियां, रेलवे स्टेशन, बस स्टेण्ड, चिकित्सा संस्थान, राजकीय एवं सार्वजनिक कार्यालय तथा विद्यालय एवं महाविद्यालय मे प्रयुक्त होने वाले परीक्षा कक्ष स्थानो को अपवाद स्वरूप मुक्त रखा जाता है।

4. मैं भीलवाड़ा जिला मुख्यालय की नगरीय सीमा के सभी नागरिकों को इस आदेश की पालना करने एवं अवहेलना नहीं करने के निर्देश देता हूँ। यदि कोई व्यक्ति उक्त प्रतिबन्धात्मक आदेशों का उल्लघंन करेगा, तो वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं राजस्थान माहमारी अधिनियम, 2020, आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 एवं अन्य सु-संगत विधिक प्रावधानो के अर्न्तगत अभियोजित किया जा सकेगा।

5. चूंकि विद्यमान परिस्थितियों में इस आदेश को तत्काल लागू किया जाना आवश्यक हैं इस कारण इसकी व्यक्तिशः पालना कराया जाना संभव नहीं हैं। अतः यह आदेश धारा 144 (2) दण्ड़ प्रक्रिया संहिता के तहत एक पक्षीय पारित किया जा रहा हैं। सर्व साधारण की जानकारी हेतु जिला मुख्यालय की नगरीय सीमा क्षैत्र के मुख्य-मुख्य स्थानों पर इस आदेश को चस्पा कर, इलेक्ट्रोनिक मिडिया एवं समाचार पत्रों के माध्यम से इसका प्रचार-प्रसार कर नागरिकों को सूचित किया जावे।

.... 2

Scanned by CamScanner

6. यह आदेश आज दिनांक 20.09.2020 को सायः 06:00 बजे से दिनांक 31.10.2020 को सांय 6.00 बजे तक **जिला मुख्यालय की सम्पूर्ण नगरीय सीमा क्षैत्र में** प्रभावी रहेंगा।

7. यह आदेश आज दिनांक 20 सितम्बर, 2020 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मुद्रा से जारी किया गया हैं।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला मजिस्ट्रेट,
भीलवाडा

प्रतिलिपि – निम्न को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

01. मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर
02. प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान–जयपुर
03. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज0, जयपुर
04. पुलिस आयुक्त, राजस्थान–जयपुर
05. संभागीय आयुक्त, अजमेर
06. महानिरीक्षक, पुलिस रेंज, अजमेर
07. समस्त जिला मजिस्ट्रेट, राजस्थान
08. जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाडा को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश संबंधित समस्त पुलिस अधिकारियों को पालना सुनिश्चित करने हेतु भेजा जावें।
09. अति0 जिला मजिस्ट्रेट, (प्रशासन / शहर) भीलवाडा
10. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, भीलवाडा
11. समस्त उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, जिला भीलवाड़ा
12. समस्त उप पुलिस अधीक्षक, जिला भीलवाडा
13. समस्त जिला स्तरीय अधिकारी, जिला भीलवाड़ा को आदेश की पालना सुनिश्चित करने हेतु।
14. समस्त तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जिला भीलवाड़ा
15. समस्त विकास अधिकारी पंचायत समिति, जिला भीलवाडा
16. सहायक निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क कार्यालय, भीलवाडा को व्यापक प्रचार प्रसार हेतु।
17. आयुक्त, नगर परिषद, भीलवाड़ा को भेजकर लेख है कि धार्मिक एवं सार्वजनिक स्थलो पर लाउडस्पीकर के माध्यम से लोगो को एकत्र नही होने की सलाह देने की व्यवस्था की जावे।
18. अति0 निजी सचिव, जिला कलक्टर, भीलवाड़ा
19. सम्बन्धित थानाधिकारी जिला भीलवाड़ा को प्रेषित कर लेख है कि ध्वनि प्रसारण यंत्रों के माध्यम से आदेश को जन साधारण को सूचित किये जाने हेतु। (द्वारा–जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा)
20. नोटिस बोर्ड, कार्यालय जिला कलक्टर / पुलिस अधीक्षक / समस्त उपखण्ड / समस्त तहसील

जिला मजिस्ट्रेट,
भीलवाडा

Scanned by CamScanner